



अ.शा.फ़ा.सं.1/11/2020-नेवा

8 अगस्त 2023

प्रिय श्री नीतीश कुमार जी,

मैं यह पत्र बिहार विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (NeVA/नेवा) के क्रियान्वयन में तीव्रता लाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) देश के सभी विधानमंडलों के कामकाज को कागज-रहित व डिजिटल बनाने की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि नेवा (NeVA) के माध्यम से देश के 10 विधानमंडल पूर्णतः डिजिटल हो चुके हैं।

बिहार विधान सभा के लिए नेवा परियोजना को 26 नवंबर, 2020 को मंजूरी दी गई थी और परियोजना के क्रियान्वयन हेतु केंद्रीय अनुदान की प्रथम किस्त 09 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी। परियोजना मंजूरी संबंधी शर्तों और सामान्य वित्त नियम (जीएफआर), 2017 के अनुसार, प्रथम किस्त की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यद्यपि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात भी उक्त प्रमाण पत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा को भी पत्र सं.1/11/2020-नेवा दिनांक 14.3.2023 के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस परियोजना पर व्यक्तिगत रूचि के साथ इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। और साथ ही यह भी अनुरोध है कि विधान सभा सचिवालय से अनुदान की प्रथम किस्त के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र को यथाशीघ्र इस मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

इस परियोजना की प्रगति के लिए आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व से हम राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे।

सादर।

आपका,

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार
बिहार मुख्यमंत्री कार्यालय,
पटना।

(प्रल्हाद जोशी)

प्रल्हाद जोशी
PRALHAD JOSHI
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ



सत्यमेव जयते

संसदीय कार्य, कोयला तथा खान मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS,
COAL AND MINES
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI

D.O No. 1/11/2020-NeVA

मार्च 14, 2023

प्रिय श्री अवध बिहारी चौधरी जी,

यह पत्र बिहार विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा- NeVA) के कार्यान्वयन के संबंध में है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) की सभी विधानमंडलों के डिजिटलीकरण के लिए एक परियोजना है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2020 को केवडिया, गुजरात में 80वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान सभी पीठासीन अधिकारियों से 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत नेवा को अपनाकर देश के सभी विधानमंडलों के डिजिटलीकरण का आग्रह किया था।


इसके अनुसरण में, विभिन्न राज्यों की 21 विधानसभाओं ने पहले ही NeVA के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 17 राज्य को अपने विधानमंडलों के डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो चुका है। अभी तक, 9 विधानमंडलों ने नेवा के आधार पर खुद को डिजिटल सदनों में बदल लिया है।

बिहार विधानसभा के लिए NeVA परियोजना को 26 नवंबर 2020 को मंजूरी दे दी गई थी और इसके बाद पहली किस्त 09 दिसंबर 2020 को जारी कर दी गई थी। बिहार विधानसभा ने नेवा परियोजना के लिए राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी इसके समुचित क्रियान्वयन के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया है, जबकि बिहार परिषद ने नेवा को 2021 से ही अपना लिया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ की आप राज्य विधानसभा में NeVA परियोजना की स्थिति की समीक्षा करें और जल्द से जल्द इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।

सादर,

आपका,


(प्रल्हाद वी. जोशी)

श्री अवध बिहारी चौधरी,
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा
पटना, बिहार

Office : Room No. 15, Parliament House, New Delhi-110001
Tel : 011-23017780, 23017798, 23018729, Fax : 011-23792341

Office : Room No. 353, A Wing, 3rd Floor, Shastri Bhawan
Tel : 23387277, 23383109

Residence : 11 Akbar Road, New Delhi-110001
Tel : 011-23014097, 23094098

H.No. 122-D, 'Kamitartha' Mayuri Estate, Keshwapur, Hubli-580023 (Karnataka)
Tel. No. 0836-2251055, 2258955 E-mail : pralhadvjoshi@gmail.com